



लाभार्थी को सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती करना |

सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा प्रे-ऑथॉरिजेशन अप्रूवल के अनुसार इलाज किया जाना (ISA द्वारा प्रे-ऑथॉरिजेशन अप्रूवल -6 घंटे(सामान्य अवस्था ) एवं 1 घंटा (आपातकालीन अवस्था में दिया जायेगा )|

इलाज के उपरान्त मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज करना |

अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज के 24 घण्टे के अन्दर सभी आवश्यक दस्तावेज़ TMS सॉफ्टवेर में अपलोड करना |

EHCP (अस्पताल ) द्वारा रिमार्क के अनुसार आवश्यक जानकारी /दस्तावेज़ प्रदान करना |

अन्य दस्तावेज़ / रिपोर्ट की कमी होने पर क्लेम वापस अस्पताल को भेजना |

अस्पतालों से अन्य रिपोर्ट /दस्तावेज़ की मांग करना |

साचीस (SACHIS ) के वरिष्ठ सत्यापनकर्ता द्वारा क्लेम की जाँच कर अपने टिप्पणी के साथ क्लेम को भुगतान के लिए आगे बढ़ाया जाना |

ISA के क्लेम सत्यापनकर्ता (CPD)द्वारा क्लेम की जाँच कर SHA (साचीस) को भेजना (15 दिवस के अंदर)|

क्लेम निर्णय

साचीस (SACHIS) की वित्त टीम द्वारा आवश्यक विवरण जाँच कर भुगतान की कार्रवाही करना (30 दिवस के अंदर -संपूर्ण प्रक्रिया )|

15 दिवस के अंदर साचीस (SACHIS) के द्वारा केस को मंजूर कर भुगतान के लिए भेजा जाएगा |

क्लेम मंजूर होने पर

साचीस (SACHIS) द्वारा क्लेम से इनकार किया जाना |

क्लेम अस्वीकार होने पर

आगे की कारवाही के लिए अपीलीय समिति का फेसला ISA और EHCP (अस्पताल ) को बताया जाएगा |

सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा केस का पुनः निरीक्षण के लिए अपीलीय समिति से निवेदन किया जा सकता है |

SHA अपीलीय समिति केस का निरीक्षण करेगी और अपना फेसला बताएगी |